न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 3 / 2024 तारीख रजू 02.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. मोहन लाल सिंहल पुत्र रामदयाल गुप्ता (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स – अशोक कुमार मनोज कुमार बजरिया सवाई माधोपुर निवासी 168 महाराणा प्रताप कोलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर।
2. अशोक कुमार सिंहल पुत्र मोहन लाल गुप्ता प्रोपराईटर मै0 सिंहल ब्रदर्स, 168 महाराणा प्रताप कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर। निवासी 168 महाराणा प्रताप कोलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर।
3. सीता देवी अग्रवाल पत्नी मोहन लाल (प्रोपराईटर) मै0 अग्रवाल एण्ड सन्स, एच–1, 621 ए रोड नं. 6 जयपुर निवासी ए.के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉर्टर, रानी बाजार, बीकानेर।
4. आलोक कुमार सिंह पुत्र शिव नारायण सिंह (नोमिनी) मै0 INDODEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, Plot no-2181, Phase-2, Sector 38, Rai Industrial Area, Sonipat, Haryana 131001 निवासी लोढियाघटा, गोंडा, उत्तर प्रदेश 211123
5. पवन कुमार गर्ग पुत्र राजकुमार मित्तल (डायरेक्टर) मै0 INDODEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, Plot no-2181, Phase-2, Sector 38, Rai Industrial Area, Sonipat, Haryana 131001 निवासी ए–70, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001
6. यश गर्ग पुत्र पवन कुमार गर्ग (डायरेक्टर) मै0 INDODEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, Plot no-2181, Phase-2, Sector 38, Rai Industrial Area, Sonipat, Haryana 131001 निवासी आर 6 / 204, नीयर सेन्टरल पार्क, सेक्टर 6 राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201002
7. मयंक मित्तल (डायरेक्टर) मै0 INDODEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, Plot no-2181, Phase-2, Sector 38, Rai Industrial Area, Sonipat, Haryana 131001 निवासी लोढियाघटा, गोंडा, उत्तर प्रदेश 211123

.........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक **19.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.02.2023 को 02.00 पी.एम. पर मैसर्स अशोक कुमार मनोज कुमार, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुँचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Ghee (Indana Brand) 500 ml के पैकेट्स में रखे हुए थे। Ghee (Indana Brand) 500 ml के पैकेट्स में मिलावट का अंदेशा होने पर नमूना वास्ते Ghee (Indana Brand) 500 ml के पैकिंग के 04 पैकेट्स खरीदकर उसकी कीमत 1120/– रूपये विक्रेता मोहन लाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा फर्म मालिक से अग्रिम खरीद बिल चाहा गया जिस पर फर्म अशोक कुमार मनोज कुमार द्वारा मैसर्स सिंहल ब्रदर्स बजरिया सवाई माधोपुर का खरीद बिल प्रस्तुत किया। आवेदक ने खरीदशुदा Ghee (Indana Brand) 500 ml को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा 04 नमूना भाग तैयार कर तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2598** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **H-2598** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मोहन लाल सिंहल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता मोहन लाल सिंहल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/258–261 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/243/एक्ट/2023/310 दिनांक 13.02. 2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Ghee (Indana Brand) SubSatandard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and standards (Food**

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Products standards and Food Additives) Regulations, 2011 and Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act 2006, होना पाया गया है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक 258 दिनांक 27.02.23 द्वारा प्रो0 मोहनलाल सिंहल पुत्र रामदयाल सिंहल मैसर्स अशोक कुमार मनोज कुमार बजरिया सवाई माधोपुर को प्रकरण की जांच से असंतुष्ट होने पर एफएसएसए 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने बाबत लिखा गया जिस पर प्रकरण की जांच रेफरल प्रयोगशाला में करवाने पर REFERRAL FOOD LABORATORY PUNE – 411001 के जांच सर्टिफिकेट कमांक RFL/P/DO-304/23/370 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड Ghee (Indana Brand) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब पेश कर प्रकरण में बहस करने का निवेदन किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का खाद्य पदार्थ Ghee (Indana Brand) 500 ml का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखने के कारण नमूने की कार्यवाही अवैध है। प्रार्थी के उत्पाद में कोई कमी नहीं है। अन्त में अभियुक्तगण ने प्रकरण में न्यूनतम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/243/एक्ट/2023/310 दिनांक 13.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Ghee (Indana Brand) 500 ml सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है तथा प्रकरण की जांच रेफरल प्रयोगशाला में करवाने पर REFERRAL FOOD LABORATORY PUNE – 411001 के जांच सर्टिफिकेट कमांक RFL/P/DO-304/23/370 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा जवाब में दिये तर्क मान्य नहीं है। क्योंकि अभियुक्तगण को उत्पाद की जयपुर की लेब रिपोर्ट पर जो भी संदेह था उसकी रेफरल लेब में तत्समय ही जांच करवा चुके थे जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद अब प्रकरण में बहस के समय लेब रिपोर्ट की गुणवत्ता पर संदेह करना सही नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Ghee (Indana Brand) 500 ml का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से 50,000/—रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **19.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर